(47)

नि0 5473/2018/रीवा/भू.रा0

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट कैम्प रीवा म0प्र0

निगरानी प्रकरण कमांक........../18

1. श्रीमती लक्ष्मी साहू पत्नी स्व0 रामप्रताप साहू, उम्र 68 वर्ष, पेशा घरूकार्य
2. लेखचन्द्र साहू तनय स्व0 रामप्रताप साहू उम्र 49 वर्ष, पेशा पेंशनर एवं मजदूरी

दोंनों निवासी मोहल्ला कटरा जानकी पार्क लोहिया मार्ग रीवा, तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

--निगरानीकर्तागण

बनाम

1. श्रीमती तिजिया साहू पत्नी गनपत साहू उम्र 67 वर्ष
2. पुरूषोत्तम साहू तनय गनपत साहू उम्र 51 वर्ष

दोंनों निवासी मोहल्ला कटरा जानकी पार्क लोहिया मार्ग रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

---गैर निगरानीकर्तागण

अधि0श्री अमरा कुमार गौतम द्वारा पेश। 06.9.18

निगरानी बिरुद्ध आदेश दिनांक 10.08.2018 न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म0प्र0 द्वारा प्रकरण कमांक 208/अपील/2017-18 श्रीमती लक्ष्मी साहू <u>बिरुद्ध तिजिया वगैरह मे पारित।</u>

<u>अपील अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.</u>

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैः-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा द्वारा दिनांक 10.08.2018 को पारित आदेश दिनांक सर्वथा विधि विधान एवं प्रकिया के प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि आवेदक व अनावेदकगण का सजरा खानदान निम्नानुसार हैः-

(57)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग 5473/2018/रीवा/भू–रा0 जिला–रीवा

लक्ष्मी साहू/ श्रीमती तिजिया साहू

(1)	(2)	(3)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री शिवेन्द्र उपाध्याय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 208/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 10.08.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 06.09.18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	